



नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक

Narmada Jhabua Gramin Bank

(A joint venture of Govt. of India, Bank of India & MP Govt.)

एनजेजीबी आवास ऋण योजना

1. योजना : भवन निर्माण, भवन/फ्लेट क्रय, भवन का विस्तार, नवीनीकरण
2. पात्रता : वेतनभोगी कर्मचारी, कृषक, व्यवसायी, स्वनियोजी, बैंक स्टाफ।
3. ऋण मात्रा : अधिकतम रु.100 लाख एवं न्यूनतम, रु. 01 लाख
4. ब्याजदर : राशि रु.25.00 लाख तक : 9.50 प्रतिशत प्र.व.
राशि रु.25.00 लाख से अधिक : 10.00 प्रतिशत प्र.व.
5. पुनर्भुगतान अवधि : अधिकतम 30 वर्ष

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना

1. योजना : ग्रामीण क्षेत्र के गरीब ग्रामीणों को आवास
2. कार्यान्वयन एजेन्सी : मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क एवं आवास अभिकरण
3. आवासीय इकाई की लागत : रु.1.20 लाख
4. प्रस्तावित ऋण : रु.1.00 लाख अधिकतम
5. आवासीय इकाई का आकार : न्यूनतम 225 वर्ग फीट जिसमें एक कमरा, रसोईघर, शौचालय/स्नानघर एवं बरामदा,
6. ब्याजदर : 9.50 प्रतिशत प्र.व.
7. पुनर्भुगतान : 10/12/15 वर्षों में,
8. अनुदान पात्रता : रु.50000/- की समीकृत मासिक किश्तों का भुगतान राज्य शासन द्वारा,

प्रधानमंत्री आवास योजना

1. योजना : सभी के लिए आवास (ऋण संबद्ध अनुदान योजना)
2. पात्रता : शहरी क्षेत्र के पात्र शहरी गरीब (EWS/LIG) वर्ग के व्यक्तियों हेतु आवास
3. केन्द्रीय सहायता से निर्मित/अधिग्रहित किये गये आवास परिवार की महिला मुखिया अथवा परिवार के पुरुष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम से होना चाहिए। केवल उन मामलों में जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं हो, आवास को परिवार के पुरुष सदस्य के नाम किया जा सकता है।
4. लाभार्थी एवं आवास का आकार :
 - EWS : वार्षिक पारिवारिक आय रु.03.00 लाख तक और आवास का आकार 30 वर्ग मी.
 - LIG : वार्षिक पारिवारिक आय रु.06.00 लाख तक और आवास का आकार 60 वर्ग मी.
5. ऋण आधारित ब्याज अनुदान 06 लाख रुपये तक की ऋण राशि के लिये उपलब्ध होगा।
6. ब्याज अनुदान : 6.50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 15 वर्षों की अवधि के लिये,
7. ब्याजदर : 9.50 प्रतिशत प्र.व.

[PMAY DESCRIPTION](#)

[APPLICATION FORM](#)

[DOCUMENTS FOR SUBMISSION](#)

[SELF DECLARATION FORM](#)